



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा बलरामपुर जिले के बलरामपुर वन मंडल अंतर्गत 2.628 हे. सकल वन भूमि (कक्ष क्रमांक पी 598 एवं पी 197 में 2.128 हे. संरक्षित वन एवं 0.500 हे. राजस्व वन) बलंगी-झापर से उत्तरप्रदेश की सीमा तक मार्ग निर्माण के लिए गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 23/08/2018

स्थान: नया रायपुर


(आर. के. सिंह)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कृष्णासिंह, रायपुर
छत्तीसगढ़